

सरकार - कन्नूर 90/02

दिनांक

आज्ञा पत्र

001.11

[Handwritten signature]

पत्रावली पेश तकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि तक पूर्व तारीख से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारेज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गए। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गंभीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारेज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

श. रामचन्द्र अधिकारी एवं
प्रदीप कुमार अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)

